

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाणपत्र

सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1900/रा०, दिनांक 06.05.2015 एवं विभागीय संकल्प झापांक 1817/रा०, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में एस०डी०ओ०सी०एम० परियोजना का विस्तारीकरण बोकारो जिला के लिए चयनित भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

क्र०	अंचल का नाम	गौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	किस्म भूमि
1	चन्द्रपुरा	तुरियो	70	34	01	7.450 हे०	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल

कुल रकबा 7.450 हे० (18.41ए०) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु गाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सरुज्क हस्तान्तरण / लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

उपायुक्त  
बोकारो

झापांक 1151 /रा०, दिनांक 08/06 /2019